तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
01-11-19	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित नहीं आये। पत्रावली आदेश के लिये स्थगित - अवलोकन किया गया। वादी द्वारा पत्र वादिनी 5-4-08 को लिखकर प्रतिवादीगण व्यवहार द्वारा अपराधार्थ, बटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया। वादी को नामिल ने अवशेष प्रतिवादीगण की तलबी / तलबाना पेश करने हेतु व्यवहृति में समुचित अवसर दिये जाने के - बावजूद भी तलबी / तलबाना पेश नहीं करना जाहिर है इस प्रकार किसी भी पक्षकार को न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करने की अनुमति नहीं है अतः वादी का वाद इसी स्तर पर आदेश 9 नियम 5 CPC के - प्रावधानों के तहत खारिज किया जाता है। नियमानुसार उभय पक्ष बराबर खर्चा वहन करेंगे। वाद तकमीली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Yadav
Date: 2019.12.05 17:02:25 IST
Reason: SelfAttested